॥ ओ३म् ॥

ज्योतिमाला- 8

मय— अन्धकार से प्रकाश की ओर चल

मय— असत्य से सत्य की ओर चल

च्ची-बातें

इजहारे हकीकत

[इस्लाम–मुसलमान और कुर-आन की तस्वीर]

प्रथम भाग

लेखक

पं० भगवान शर्मा आर्य

“वेद पथिक” मर्मज्ञ-ए-कुर-आन

क्षमा याचना

सज्जन वृन्द !

यह पुस्तक कुछ समय और पहले आपके हाथों आ जाती परन्तु तरह-तरह की बाधाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर, बहुत सावधानी के पश्चात भी उर्दू शब्द के कारण जहाँ-तहाँ छपाई की अशुद्धियाँ रह गयीं। कृपया संशोधन तालिका से सहायता लेकर पढ़ें। इस ताने-बाने में जो भी आपको कष्ट हुआ है। इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं।

मुद्रक— कल्याण प्रेस, ढाका (पू० चम्पारण)

संशोधन तालिका

पृ० सं०	अशुद्ध	शुद्ध	पृ० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
२	एक गय	एक राय	१५	ह० वसूल	ह० मु० रसूल
४	रयिन्तिधारय	रयिन्रिधारय	१६	की की	भी
४	कुरसाँ	कुरआँ	१६	इलिनान	इत्मिनान
४	मुजस्सिन	मुजस्सिम्	१६	हमीम	हकीम
६	वादेमनता	बाद में बना	१८	जाहिर	हाजीर
७	इलिनान	इत्मिनान	१९	खारा	खास
८	खारा	खाश	२१	इस पर इस पर	इस पर
८	आदमी जगह	आदमी की जगह	२२	बे	के
			२४	करने	मरने
८	वरार	बशर	२८	रूजर हूरें	सत्तर हूरें
८	,,	,,	२९	कर्वानी	कुर्वानी
११	उनसे	उसने	३८	के जगह पर	४० पेज नं0 है
१३	करणों	करणों			
१४	उसके कर्मों की उसके कर्मों की	उसके कर्मों की			

★

भूमिका

प्रिय पाठक वृन्द ! मैं अपनी ज्योतिमाला के चतुर्थ पुष्प कुर-आन, इस्लाम और मुसलमान नामक अपनी इस लघु पुस्तिका के द्वारा आपका ध्यान इस तथ्य (हकीकत) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रातः स्मरणीय महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जब अपने अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' के चौदहवें समुल्लास में इस्लाम के मान्य धर्म ग्रन्थ कुर-आन शरीफ के उन वशुलों के खिलाफ कड़ी आलोचना (नुक्ताचीनी) की जो ईश्वरीय ज्ञान 'वेद' विज्ञान सृष्टि, नियम, प्रकृति (कुदरत) और युक्ति, तर्क के खिलाफ है।

उस समय मुस्लिम वर्ग ने स्वामी दयानन्द सरस्वती और आर्य समाज को जो भी मन में आया खोटा-खरी कह कर पुकारा। मुसलमानों को क्या पता कि ऋषि दूरदर्शी हुआ करते हैं और उनकी वाणी सत्य हुआ करती है। "वृथा न जाहिं देव ऋषि वाणी।"

यही तक नहीं सिन्ध प्रान्त के मुस्लिम शासक ने सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध (जप्ती) लगाकर अपनी अदूरदर्शिता और संकीर्णता का भी परिचय दिया। जो आखिर में आर्य समाज के कड़े विरोध से मजबूर होकर सिन्ध सरकार को झुकना पड़ा और प्रतिबन्ध तोड़ना पड़ा।

पाठक देखेंगे आज वही मुस्लिम वर्ग किस प्रकार जहालत से ऊपर उठकर ऋषि दयानन्द महाराज की बातों की ओर झुकता जा रहा है और आर्य समाज के सर्व कल्याणकारी सिद्धान्तों को कुबूल कर अपने इस्लामी धर्म को समझता जा रहा है।

कुर-आन, इस्लाम और मुसलमान इन तीनों में परस्पर (आपस में) मतैक्य (एकराय) नहीं है। कुर-आन की बहुत सी बातें इस्लामी वशुल के खिलाफ है, इसी प्रकार इस्लाम की बहुत सी बातें कुर-आन के वरखिलाफ है और कुर-आन तथा इस्लाम के बहुतेरे वशुलों के खिलाफ मुसलमानों का अपना व्यवहार (आचरण) है। जिस प्रकार 'हिन्दू' समाज का भी आचरण है।

कुछ समझदार, नेक-ईमानदार, खुदापरस्त मुसलमानों का ईमान भी कुर-आन की कतिपय (किसी-२) बातों पर मानने के कायल नहीं है। यही वजह है कि १८७५ से १९७५ के दरमेयान कुर-आन का अर्थ (तरजुमा) क्रमशः (लगातार) बदलता गया है। पुराने अर्थों (तरजुमें) के बावजूद भी कुर-आन के अनेक नये तरजुमा (अर्थ) हो चुके हैं।

इस प्रकार की तबदीली (बदलने) का कारण है। एकमात्र महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा कुर-आन पर की गई सच्ची (हकीकत) समालोचना।

स्वामी दयानन्द महाराज एवं आर्य सभाज के द्वारा सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो मुसलमानों ने उठाया है। कतिपय (बाजे) मुस्लिम विद्वानों ने 'वेद' के हकीकत (सच्चाई) को समझा और कुर-आन के अर्थों (तरजूमें) में काफी सुधार लाकर

उसे 'वेद' के नजदीक लाने की भरसक कोशिश किया है जो सराहनीय है।

किन्तु दूसरी ओर तथा कथित (सनातनी) तो नाना हिन्दू जाति और नाना मार्गो (स्वकल्पित) के दल-दल में धंसकर पुराण (अनर्गल) के ही गुलाम बने रहना पशन्द कर अपने धर्म और संस्कृति को ही मिटाने में लगे हुए हैं।

इस छोटी सी पुस्तिका में पाठक देखेंगे कि इस्लामी दुनिया ने किस प्रकार कुर-आन का नया अर्थ (तरजुमा) करके 'वेद' के समकक्ष (नजदीक) लाने का प्रयत्न (कोशिश) किया है।

यह पुस्तिका (किताब) किसी के विचार पर हमला करने या किसी के दिल दुखाने के इरादे से नहीं बल्कि हकीकत (सच्चाई) की जानकारी के लिए लिखी गई है।

आशा है, पाठक ! इसी नजर से इसे देखने-समझने, पढ़ने और मनन करने का कष्ट फर्मायेंगे।

—लेखक

ओ३म्

इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः।
शुद्धों रयिन्तिधारय शुद्धों ममद्धि सोम्या॥

अर्थ—हे दीन दयालु (रहमाने रहीम) भगवन् ! आप सदा पवित्र स्वरुप (पाक परवर दिगार) और पवित्र (पाक) करने वाले हो, हमको पवित्र बनाओ। खान-पान आदि व्यवहार के लिए हमें पवित्र धन (पाक दौलत) दो, जिससे हम पवित्र रहते हुए, आपके प्यारे सच्चे भक्त (नेक और हकीकत वन्दे) बनें और अपने सहवासी (पड़ोसी) भाईयों (बिरादरानों) को भी पवित्र सच्चे भक्त (इवादतगार) बनाते हुए सुखी रहें।

ईश्वर का स्वरूप—पाठक को सर्व प्रथम यह जान लेना चाहिए कि भगवान (अल्लाह, गौड) एक है, वह निराकार है, जन्म मरण से रहित और सर्व व्यापक है। वह हर जगह मौजूद है। उसका कोई एक जगह स्थान नहीं है। इस बात को इस्लाम इस प्रकार से वयान करता है कि 'हाजिरो नाजीर खुदा है, हर जगह व्यापक है वो है वह अजली (सनादि) और अवदी (अनन्त) लाफ़ना (अविनाशी वो ला मकाँ।'

इस माने में 'वैदिक धर्म' और 'इस्लाम' दोनों एक जगह आ जाते हैं। 'है मगर तालीमें कुरसाँ बिलकुल इसके वरखिलाफ (उल्टा) है। वह (अल्लाह) महदूदों मुजस्सिन (शरीरी) और मुकि आसमाँ।' सातवें आसमान पर रहने वाला)।

पाठक ! देखेंगे कि इस्लाम का वशुल बतलाता है कि अल्लाह हर जगह है वह जर्रे-जर्रे में है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, उससे कोई जगह खाली नहीं है।

किन्तु कुर-आन बतलाता है कि वह सातवें आसमान पर रहता है। वह तख्त (सिंहासन) पर बैठता है। कयामत (प्रलय) के दिन खुदा इजलास (दरबार) लगायेगा। वहाँ रुहें कब्रों से उठकर आयेंगी उसके पास और अल्लाह उनकी नेकी और बदी का फैसला करेगा। अल्लाह तख्त पर बैठा होगा जिसे फरिस्ते उठाते हैं। अल्लाह दोज़ख (नरक) को भरने के लिए उसमें अपनी टांग डालेगा। इत्यादि बातें यह साबित करती हैं कि अल्लाह शरीरधारी है और सातवें आसमान पर रहता है। हजरत मुहम्मद साहब का-'बुराक' (उड़ने वाला परदार घोड़ा) पर सवार होकर आसमान में जाना पास अल्लाह के–यह दास्तान भी यही साबित करता है कि अल्लाह ताला सातवें आसमान पर ही रहते हैं। हर जगह नहीं।

नमाज—कुरआन के अन्दर अल्लाह तआला फरमाते हैं कि पुकारो अपने रब (अल्लाह) को सुबह और शाम, रात के पिछले हिस्से में अर्थात् दो वक्त नवाज अदा करो सुबह (चार बजे) और शाम को सूर्यास्त के बाद। किन्तु मुसलमान पाँच वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिसका कुरआन में जिक्र नहीं।

लाशरीक—कुरआन तालीम देता कि अल्लाह के काम में कोई शरीक (साझेदार) नहीं है क्यों कि वह लाशरीक है। 'अल्लाह में साझेदारी मानना गुनाह है।'

॥सू० अन निसा–पा० ५–आ० ४१॥

मगर इस्लाम और मुसलमानों ने इसके खिलाफ अल्लाह के पाक कलमा 'लायलाय इल्लिलाह' में 'मुहम्मद उर्रसूलल्लाह' जोड़ कर हजरत मुहम्मद साहब को शरीक कर डाला है। जब कि कुरआन ने हिजायत (मना) किया हैं कि 'मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को' ॥ मं० ७–शी० २९–सू० ७२ ॥

इसके अलावे वे कयामत के रोज फरिस्तों की गवाही, आँख, कान, हाथ पैर आदि की गवाही तथा हजरत मुहम्मद साहब की मध्यस्थता (पैरवी) को भी स्वीकार करता है 'वक्सा न जायेगा कोई वहाँ पर, मुहम्मद का जबतक इशारा न होगा' इस प्रकार लाशरीक अल्लाह को शरीकदार बना डाला है।

पैदाइस—कुरआन का वसुल (मान्यता) है कि दुनिया बनने के पहले (पूर्व) सिवा अल्लाह के और कुछ नहीं था। 'कुछ न था सिवा अल्लाह तआला' लेकिन इस्लाम बड़े फक्र के साथ यह कबूल करता है कि अल्लाह तख्त पर बैठता है, वह तख्त नसीन है। यह बात साफ तौर पर जाहिर करता है कि अल्लाह के साथ तख्त भी कायम था। तो फिर यह फर्माना कि दुनिया बनने के पहले सिवा अल्लाह के दूसरा कुछ नहीं था यह बात गलत साबित होती है।

अगर यह माना जाय कि तख्त 'पैदाशुदा' है (वादेमनता) तो खुदा तख्त नसीन नहीं रहता और अगर तख्त कदीम (अनादि) माना जाय तो पैदाइशी वशुल की 'कुछ न था सिवा अल्ला तआला' यह गलत होता है। तआज्जूब है इस परस्पर विरोधी बातों पर, चिंतन करें।

कून्न—कुरआन इस बात को जाहिर करता है कि खुदा को दुनिया बनाना होता है तो यह नही कि बनाना पड़े। वह कह देता है 'कून्न' (होजा) बस दुनिया बन जाती है। लेकिन कुरआन और इस्लाम दोनों यह भी मानते हैं कि अल्लाह ने छव रोज में जमीं और आसमाँ को बनाया और सातवें रोज सातवें आसमाँ पर अपना मुकाम ठहराया। मुसलमान भी इसपर अपना इमान कायम रखते हैं। पता नहीं इस परस्पर विरोध में 'कून्न' शब्द की आवाज कहाँ गुम हो गयी। माकूल जवाब नहीं मिल पाता जो काबिले इत्मिनान हो।

आदम—कुरआन शरीफ का वशुल है कि हजरत आदम की उत्पति मिट्टी से है। आदम और हौव्वा के बारे में जो बाइबील और कुरआन का वर्णन है। वह इस प्रकार है—'अल्लाह ने मिट्टी से आदम के पुतले को बनाया और उसके नथनों (नाकों) में रूह (आत्मा) फूंका वह जिन्दा हुआ। आदम के बायें फसली की हड्डी से हव्वा (आदम की बीबी) को बनाया इस्लाम का कहना है कि इन्हीं आदम और हव्वा की सारी दुनिया के इन्दान औलाद (सन्तान) है और यही आदम पैगम्बरी दुनिया का पहला पैगम्बर और पहला आदमी है। लेकिन कुरआन के पुराने और मशहूर भाष्यकार (तर्जुमेंकार) शाह शफीउद्दीन साहब अपनी कुरआन के तरजुमें (अर्थ) में फर्माते हैं कि अल्लाह तआला ने आदम नहीं आदमी को मिट्टी (जमीन) से पैदा किया। वे लिखते हैं कि कुरआन में अल्लाह फर्माते हैं 'और अलबज़ा तहकीक पैदा किया हमने आदमी को बजने वाली मिट्टी, जो बनी हुई कीचड़ सड़ी हुई से' 'और जब कहा परवर दिगार तेरे ने वास्ते फरिस्तों के 'तह-

कीक मैं पंदा करने वाला हूं आदमी का बजने वाली मिट्टी जो बनी थी कीचड़ सड़ी से'।

पाठक ! कुरआन में अल्लाह आर जनता और फरिस्तों से फर्माया है कि मैंने मिट्टी (जमीन) से आदमी (मनुष्य) को बनाया है। लेकिन इस्लामी दुनिया ने आदमी को आदम में शुमार कर गलत रास्ता अपना लिया।

अल कुरआन में टिप्पणी (नोट) करते हुए लिखा है कि मिट्टी पानी से तर की और उसमें खमीर उठा कि खन-खन बोलने लगी, वह वदन (शरीर) हुआ इन्सान (मनुष्य) की उसकी (मिट्टी की) खाशियत है। असर सख्ती (कड़ापन) और बोझ (वजन-भार) रह गई इन्सान में।

यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि अल्लाह ने जमीन के बुलबुले से इन्सान को पैदा किया न कि आदम नाम के किसी खास आदमी को पैदा किया। पाठक ! देखेंगे कि किस प्रकार तोड़-मरोड़ कर आदमी के दास्तान को आदम के दास्तान में बदला गया है।

'वेद' भी यही बतलाता है कि परमात्मा ने शुरु दुनिया में बहुत से मानवों (इन्सानों) को पैदा किया वनस्पति की भाँति कुरआन मजीद में भी कहा है 'और अल्लाह ने उगाया तुझको जमीन से'

अशरफ अली ने अपनी कुरआन भाष्य (तरजुमें) में आदमी जगह 'बशर' शब्द का इस्तेमाल किया है। 'बशर का माने भी आदमी ही होता है। अशरफ अली ने भी आदम नहीं माना है आदमी ही माना है।

मौलवी मुहम्मद अली कुरआन भाष्य में मिट्टी और आग से (जिससे फरिस्ते पैदा हुए) उत्पति का वर्णन अलंकारिक (इस्तेआरा) माना है हकीकत नहीं। वे आगे लिखते हैं कि आदम मिट्टी या धूल से नहीं पैदा हुए बल्कि मिट्टी के सार जिसमें जीवन तत्व हो। आदम की कहानी हर आदमी की कहानी है।

तफसीर अल कुरआन—बिल्कुरान के लेखक मौलवी अब्दुल हकीम, मौलाना अशरफ अली, मौलवी मुहम्मद अली, इन तीनों मौलवियों ने अपने भाष्य में मनुष्य की उत्पति (पैदाइसी) मिट्टी साफ से मानी है। कुरआन का मूल शब्द है 'सुलालत' सुलालत का तीन अर्थ होता है सनीहुई (वजता) खुलासा और साफ। मौ० सनाउल्लाह ने भी साफ मिट्टी से माना है। मौ० असरफ अली अपनी कुरान भाष्य के 'नोट' में लिखते हैं कि—'आँ हजरत ने फर्माया है कि, खुदा ने आदम के पुतले को रूए जमीन की मिट्टी से खुलासा (जौहर) से बनाया, जिसमें नरम, सख्त, बुरी, अच्छी, हर किस्म की मिट्टी शामिल थी।' फिर उसमें रूह डाल दी। जन्नत में दाखिल होने से पहले हव्वा को आदम की बायें फसली से पैदा किया (यहाँ हव्वा के अन्दर रूह डालने का कोई जिक्र नहीं किया गया है)।

पाठक देखेंगे कि हजरत मुहम्मद साहब के बयान के खिलाफ ही शाह सफीउद्दीन ने जाहिर किया है। जिस आदम की कहानी की इस्लाम के अन्दर चर्चा है उसे भी हकीकत नहीं माना गया है। मौ० शाह का यह भी कहना है कि कुरआन ने यह नहीं

जाहिर किया है कि आदम कब, कैसे, और कहाँ पैदा हुआ और न वह पहला आदमी ही था।

'इब्न-ए-अरबी, लिखते हैं कि—हमारे आदम से पहले (पूर्व) ४० हजार वर्ष—एक और आदम था।'

'महान मुस्लिम धर्म शास्त्री मुहम्मद बिन अली अल बाकिर बताते हैं कि—'हमारे आदम (अव्वा) से पहले लाखों आदम पैदा हो चुके हैं।'

'इमामिय्यह सीया ने लिखा है कि—'हमारे आदम से पूर्व (पहले) ३० आदम हो चुके हैं।'

पाठक ! यह है आदम के बारे में इस्लामी दुनिया की अटकल बाजी जो एक ख्याल मात्र है।

वास्तविक (हकीकत) बात यह है, जिस आदम की चर्चा बाइबल और कुरआन में आई हुई है, वह हकीकत में आदम नहीं आदमी की कहानी है। क्योंकि हकीकत ईश्वरीय किताब कला में पाक, शुरु दुनिया का दिया हुआ 'इलहाम' (ज्ञान) 'वेद' बतलाता है कि शुरु दुनिया में परमात्मा ने लाखों-लाख इन्सान को बनस्पति की तरह जमीन से पैदा किया, (एक अरब, सन्तानवें करोड़, उनतीस लाख, उनचास हजार, आठ सौ वर्ष हुए) अस्तु, ऊपर के बयानों से यह साफ-साफ जाहिर हो जाता है कि—आदम-न-पहला आदमी हैं और-न-सारी दुनिया उस एक आदमी की औलाद है। मुसलमानों का यह यकीन सरासर गलत फहमी की ओर है। इस विज्ञान के युग में जहालत से ऊपर उठने की जरुरत है।

हव्वा—मौ० मु० अली फर्माते हैं कि हव्वा आदम के फसलो की हड्डी से नहीं बनाई गई—वलिक उस तत्व से पैदा की गई जिस तत्व से आदम (आदमी) पैदा हुए थे।

पाठक! आपने देखा कि हव्वा की कहानी भी एक कल्पना (ख्याल) और भ्रामक की कहानी बन कर रह गई—हकीकत नहीं।

शैतान—मौ० मु० अली, मौ० अब्दुल हकीम तथा मौ० मु० नुरुद्दीन काश्मीरी आदि का कहना है कि 'शैतान' का मतलब है नेकी, बदी या नेकी बदी कराने वाला इन्सान का अपना ख्याल अमाल (विचारादि) जो मरने के समय इन्साम को उसी प्रकार ले जाता है। ऐसा माना है। यह है वैदिक वशुल मानसिक संस्कार जो इन्सान को नेकी वदी करने को मजबूर करता है, कोई अलग शैतान नहीं है। शैतान का मानना (जैसा कुरआन में आया है) खुदा के मुकाबले एक दूसरा खुदा का मानना है। यह एक गुनाह है इस पर अमल करनी चाहिए।

जिन्न—इस्लामी दुनिया में जैसे शैतान को 'गुम' (अदृश्य) मानता है, वैसे ही उनसे 'जिन्न' को भी गुम रहने वाला माना है। लेकिन मौ० मु० अली ने अपनी कुरआन भाष्य (तरजुमा) में जिन्न को मनुष्य ही माना है। वे लिखते हैं कि—निसन्देह इस्रायलियों के अधिकता में आई हुई परिश्रमशील अनइस्राली जातियाँ ही जिन्न थीं।

दूसरे स्थान पर कुरआन भाष्य में आया है कि वे लोग अनस्रायली 'शिल्पी' (कारीगर) थे जिन्हें सुलेमान ने मन्दिर बनवाने में लगाया था, वे लोग विदेशी थे।

यह है 'वेगुमा' जिन्नों की (शिल्पियों की) हकीकत कहानी जिसे मुसलमानों ने 'जिन्न' नाम का काल्पनिक भूत, प्रेत मान कर इन्सान को गुमराही रास्ता दिखलाया :

कयामत—मुस्लिम जगत का वसूल है कि, इन्सान न पहले था और न मरने के बाद फिर दुनिया में आयेगा। इन्सान पहली पहल इस दुनिया में आया है। इस प्रकार इस्लामी पुनर्जन्म (दुबारा पैदा होना) को नहीं मानता है।

हाँ ''वह इतना जरूर मानता है कि—कयामत (प्रलय) के रोज तमाम मरे हुए (शुरु दुनिया से कयामत तक) इन्सान को अल्लाहताला फिर कब्र से जिन्दा करके उठायेगा और उनके भले बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें दोजख (नरक) और बहिस्त (स्वर्ग) में सदा के लिए भेज देगा।

स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज ने इस पर अपना रा[illegible] करते हुए घोर आपत्ति (एतराज) की है। और ऋषि ने वह पूछा है कि कब्र में जले, गले इन्सान का शरीर फिर उसी (पहले जैसा) [illegible] में कैसे उठेगा ? इत्यादि। ऋषिवर इसे विज्ञान और अक्ल के [illegible] (खिलाफ) गलत ठहराया है।

इस आक्षेप से बचने के लिए और कुरआन की प्रतिष्ठा रखने के लिए, मौ० असरफ अली ने अपनी कुरआन भाष्य में यह [illegible] माना है कि—

'कयामत के रोज एक मेह बरसेगा और जैसे पानी [illegible] से नई प्रकार के दरख्त (पेड़ पौधे) पैदा हो जाते हैं उसी प्रकार शुरु

आदमी से लेकर कयामत तक के सभी इन्सानों के, जिस तरह के जिस्म (चमड़े) रहे होंगे उसी प्रकार अल्लाह तआला पुनः पैदा कर देगा"।

यह है कयामत की कहानी, मौ० असरफ अली की जुबानी। मुसलमान यह मानते हैं कि कयामत के रोज सबके कर्मों का निर्णय (फैसला) होगा। और हर एक के गले में उनके कर्मों का पट (तख्ती) होगा।

मौ० मु० अली ने कुरआन के इस बात को, अपनी कुरआन में, इसे बिल्कुल पलट दिया है—वे लिखते हैं कि, यह एक नियम है, जो हर क्षण काम करता है, और यह नहीं कि किसी विशेष (खास) दिन (कयामत) पर चालू होगा। इसलिए अल्लाह को, 'सरिउल हिसाबे, (शीघ्र लेखा करने वाला) कहा गया है।

'लेखा (फैसला) प्रतिक्षण (हरवक्त) चालू है।' भले, बुरे (शुभ अशुभ) के पृथक्-२ फलों का नियम प्रत्येक क्षण (हर समय) कार्य कर रहा है। कर्मों के फल रुकते नहीं। प्रत्येक बुरा कर्म मनुष्य के मन में अपनी छाप छोड़ जाता है। यहाँ तक की ज्यों ही कोई कर्म किया जाता है, त्यों ही उसका फल उसका (कर्मकर्त्ता का) पीछा करने लगता है। इस प्रकार कर्म मनुष्य पर अपना प्रभाव (असर) छोड़ जाता है' ॥मु० अली॥

पाठक ! यह है वेदिक जादू जो मुस्लिम विद्वानों के सर पर चढ़ कर ही हकीकत इजहार (सच्ची बात) कर रहा है, कि हिसाब प्रतिक्षण हो रहा है; कयामत के रोज नहीं।

कर्म पुस्तिका—इस्लामी वशुल है कि कयामत के रोज हरएक इन्सान को उसके कर्मों की उसके कर्मों की पुस्तक दीये जायेंगे। मौ० मु० अली लिखते हैं कि 'यह पुस्तक जो कयामत में मिलेगी, उसके अपने किये कर्मों के प्रभाव के और कुछ नहीं है, वह कर्म पुस्तक इन्सान के दिल के अन्दर है, जो सुरक्षित है। आगे वे लिखते हैं कि व्यक्तियों की भाँति जातियों के कर्मों के संस्कार भी उनके किये कर्मों की पुस्तक है'।

किताब—कुरआन में—'किताव'—'कतव' यह दो शब्द आया है। जिसका अर्थ मौ० मु० अली इस प्रकार बतलाते हैं—

किताब—पुस्तक—कतब—उसका लिखा।

इसके अलावा—परमात्मा का आदेश—जो कर्त्तव्य ठहराया हो—अनिवार्य ठहराया—कर्मों का सुरक्षित रखना—तथा कभी-कभी इसका अर्थ परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा लिखा है।

पाठक गण! 'वेद' का सिद्धान्त है कि परमात्मा ने शुरु दुनिया में (सृष्टि के आदि में) चार ऋषियों के हृदय में 'ज्ञान' का प्रकाश (उजाला) किया...मौ० मु० अली ने भी धीरे-धीरे उसी की ओर कदम बढ़ाना शुरु किया।

कुरआन का यह फर्माना है कि अल्लाह ने, ह० मु० साहब पर किताब उतारी...का मानी है...ज्ञान दिया न कि पुस्तक दिया। यह है वैदिक धर्म की विशेषता जिस पर आये बिना राहत नहीं।

मिजान (कर्म तुला) इस्लाम का यकीन है कि कयामत में अल्लाह कर्मों को तौलेगा तराजू से। मौ० अ० अ० का कहना है

कि यह कोई दुनियादारी तराजू नहीं है, वल्कि हर मन को बहुतायद जाँचा जायेगा—न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में। वास्तविक तराजू नहीं है, यह एक अलंकारिक शब्द है, जिसे मिसाल के लिए इस्तेमाल किया गया है।

मु० नुरुद्दीन कारी कश्मीरी भी यही बात इन शब्दों में वयां करते हैं—मिजान कोई पैदासुदा तराजू नहीं अपितु अल्लाह अपने अजल (अनादि) अवदी (अनन्त) होने से, हरएक इन्सान जिसने अपनी इन्द्रियों (आँख, कान, हाथ, पैर आदि) से क्या-२ नेकी और वदी की है, मिकदार (फवलानल) उन पर जाहिर कर देगा। वश यही तराजू और तौलना है। कोई हकीकत नहीं।

सूर फूंकना—मुसलमान इस बात पर इमान लाते और मानते हैं कि, कयामत के रोज एक फरिस्ता सूर फूंकेगा (मानिन्द विगूल के) और सब मुर्दे कब्र से उठकर दरबारे इलाही (खुदा के दरबार में) में इकट्ठे (जमा) हो जायेंगे।

मु० नुरुद्दीन कारी लिखते हैं कि—जिस प्रकार अल्लाह का व्यक्तित्व (शख्शीयत) है और निर्दोष है, यह निषेधक (मुमानियत) है कि कोई जाहिर तौर पर विगूल लेकर फूंके, यह 'सूर फूंकना' एक इस्तेआरा (अलंकार) है। इसका (सूर फूंकने का) मतलब है, इरादा-ए-इलाही (भगवान का संकल्प) से सब लोग उठेंगे और जमा हो जायेंगे।

पाठक ! जरा आप मौ० असरफ अली का भी मजेदार दास्तान सुनें जो उन्होंने, ह० रसूल साहब के बारे में लिखा है।

जनाव अशरफ अली अपनी कुरआन तरजुमा के टिप्पणी (नोट) में लिखते हैं कि ह० रसूल से जब सूर का सवाल आया तो आपने (रसूलने) फरमाया कि यह एक सींग है, जिसमें फूंका जायेगा (हदीस शरीफ) और सूर की हदीस में अबूहरैरा की रिवायत में आया हैं कि वह (सूर) एक सींग है, जो जमीन से आसमाँ तक बड़ा है। जिसमें इस्राफील फूंकेंगे।

पाठक वृन्द ! सूर के विषय में, मौ० अब्दुल हकीम, मौ० सनाउल्लाह, मौ० मु० अली और खुद रसूले खुदा, ह० मु० साहब की की सूर सींग में फूंकना कबूल किया है। फकत (सिर्फ) कारी कश्मीरी साहब अकेले हैं, जो इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि 'सूर' एक इस्तेआरा (अलंकार) है, जो काबिले इलितान के हैं।

लेखक का अपना यकीन है कि हजरत रसूल साहब भी सूर को सींग के रूप में बयां किए होंगे—यह हदीस कार का अपना ख्याल होगा। क्यों कि जमीं से आसमाँ तक जिसका सींग होगा वह जानवर कितना बड़ा होगा या सींग कोई दीगर माने होगा। अन्यथा यह वास्तव में एक ख्याली पोलाव मात्र है, जिसे हदीसकारों ने पकाया है।

हाथ, पाँव की गवाही—कुरआन शरीफ में बयाँ है कि कयामत के रोज इन्सान का हाथ पाँव वगैरह उनके कुकर्मो की और सुकर्मों की गवाही देंगे, जिस पर हमारे मुस्लिम बन्धु भी बड़े फक्र के साथ बयाँ करते और इमान लाते हैं।

किन्तु श्री कारी कस्मीरी का कहना है कि—जिस प्रकार किसी वैद्य, हकीम के पास आतशक (गर्मी) का मरीज पहुँचता है,

तो वैद्य उसके आँख, कान, नाक, जीभ वगैरह को देखता है...जो साफ-साफ गवाही देता है कि—यह आतशक का मारा है। जब एक इन्सान इस प्रकार हजारों बिमारियों को जान लेता है, तो अल्लाह और 'खवीर' (सर्वज्ञ) सब जानने वाला—'जाते कवीर' (महान भगवान) के सामने कान, आँख और दिगर इन्द्रियाँ क्यों कर नहीं गवाही दे सकेगी। यह एक अलंकारिक-कहानी है, हकीकत (वास्तविक) नहीं।

पाठक वृन्द! ऊपर के दृष्टान्तों से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि कुरआन में आये हुए कयामत की हर एक कहानी एक अलंकारिक शब्द है और सिर्फ कल्पना है हकीकत नहीं है, इस पर अमल करनी चाहिए।

हजरत मूसा पर इल्जाम—कुरआन के अन्दर मूसा (पैगम्बर) साहब पर एक फिरऔनी के कत्ल करने का इल्जाम (जो बायबुल में है) स्वीकार किया गया है, जिसे मौ० अशरफ अली, मौ० अब्दुल हकीम, मौ० सनाउल्लाह ने भी तसदीक किया है। और माना है। लेकिन मौ० मु० अली ने इसे नहीं माना है। इनकी यह कुरआन शरीफ के बयां के खिलाफ है।

ईसा मसीह—मौ० अशरफ अली, मौ० अब्दुल हकीम मौ० मु० सनाउल्लाह ने कुरआन का हवाला देकर कुरआन के इस बात को मंजूर किया है कि—ह० ईसा मसीह—बे बाप के पैदा हुए (जैसा कि ईसाई लोग मानते हैं) लेकिन सर सैयद अहमद खाँ, मौ० मु० अली आदि। ह० ईसा मसीह को माँ और बाप से पैदा

हुआ मानकर बायबुल और कुरआन के मान्यता को अमान्य ठहराया है।

(लेखक, का अपना विचार है कि—जिस प्रकार इस्लाम, हजरत मुहम्मद साहब को सबसे बड़ा साबित करने के सबब से उन्हें 'उम्मी' (मूर्ख) मानकर अल्लाह के द्वारा (मारफत जिबरील) तालीम कराना माना है (क्यों कि पढ़ा हुआ मानते हैं तो पढ़ाने वाला गुरु का दरजा बड़ा साबित हो जायेगा) ठीक उसी प्रकार इसाई लोगों ने भी हजरत ईशा मसीह को बे बाप का साबित किया है। उनका भी यही ख्याल काम किया है कि यदि माता-पिता दोनों से पैदाइस मानते हैं, बाप का ही दरजा आला होगा।

इसलिए यह माना है कि—'गौड' (भगवान) के द्वारा ही कुमारी मरियम में गर्भ स्थापित कर ईशा मसीह को पैदा किया गया है। पर यह दोनों के दोनों (उम्मी-और-बे-बाप के) उशुल, विज्ञान और ईश्वरीय नियम (कुदरत) के खिलाफ होने से काबिले इत्मिनान नहीं है।

शूली—अल्लाह और कुरआन का हवाला देते हुए सभी मौलवी यह मानते हैं कि हजरत ईशा मसीह शूली पर चढ़ा कर मारे नहीं गये, बल्कि अल्लाह ने उन्हे ऊपर अपनी ओर उठा लिया है, और वे जिन्दे हैं, कयामत के रोज जाहिर होंगे। किन्तु मौ० मु० अली ने ऐसा नहीं माना है कि वे जिन्दे अल्लाह के द्वारा अपनी ओर ऊपर उठा लिये गये हैं। वे मानते हैं कि वे शूली पर चढ़ा कर ही मारे गये हैं, और यही हकीकत भी है। ईशाइ लोग भी शूली पर चढ़ा कर हैं।

मारा जाना मानते है। जिन्दा ऊपर उठा लेना यह भी पैदाइसी की कहानी की तरह महत्व देने जैसी बात है। वास्तविक नहीं कहा जा सकता फक्त ख्याल है।

मन्सूख (नासिख) त्याज्य वा निषेध्य को अरबी भाषा में 'मनसूख' (निषेध्य) कहते हैं और करने वाली आयतों को 'नासिख' 'निषेधक' कहते हैं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के पूर्व मुसलमानों के सभी साम्प्रदाय ऐसा मानते थे कि—कुरआन की कुछ ऐसी आयते हैं, जिनका इल्हाम खुदा ने पहले दिया, लेकिन आगे चलकर उसे फिर त्याज्य (नहीं मानने वाला) ठहराया। इसी को मनसूख कहा जात हैं। जिसे मुसलमान मानते हैं, वे इसका मुलाधार (खारा कारण) कुरआन शरीफ की अनेक आयतों को बतलाते हैं।

मौ० असरफ अली का तरजुमा इस प्रकार है—अल्लाह कहता है, 'हम किसी आयत का हूक्म जो मौकुफ (रोक देना) या फरामोरा (नहीं चाहना भूलादेना) कर देते हैं, तो हम उस आयत से, बेहतर या उस आयत की मिस्ल (समान) ही दूसरा ला देते हैं'।

इसी आयत का, मौ० अब्दुल हकीम का अनुवाद (तरजुमा) यह है। 'हम जो कोई आयत मनसूख करते या तर्क करते हैं, तो उससे बेहतर या उसकी मिस्ल ले आते हैं।'

मौ० सनाउल्लाह ने यह लिखा है—'जो हुक्म हम (खुदा) बदले या पीछे करें तो उससे अच्छा या उसी जैसा लाया करते हैं।' यहाँ शाह रफीउद्दीन ने, मुवाजह-उल-कुर-आन' का जिक्र

टिप्पणी में दिया है कि—इस पर (आयत हटाने पर) यहूद का ताडन (आक्षेप) था कि तुम्हारी किताब में बाजी आयत फसख (निषिद्ध) होती है, मगर जब वह भी अल्लाह की ओर से थी तो, क्या उसने (अल्लाहेन) ऐब देखा उसमें (अपनी आयत में) फिर उसे मौकूफ (२६) किया। इस पर अल्लाह तआला ने फर्माया, कि—'ऐब न पहले में था न पिछली में, पर हाकिम हर वक्त जो चाहे करेगा।'

पाठक ! कुर-आन की इस आयत तथा 'मुवाजह-उल-कुर-आन की टिप्पणी से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि कुर-आन शरीफ में अवश्य ही ऐसी कुछ आयतें हैं, जो मानने योग्य नहीं हैं—मनसूख है, किन्तु मौ० मु० अली ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि—पवित्र (पाक) पैगम्बर की एक भी हदीस नहीं कि कुरआन पाक की कोई आयत मनसूख है। आगे चलकर मौ० मु० अली यह स्वीकार करते हैं कि—कुछ प्रमाणिक मुसलमान कुरआन में मनसूख होना मंजूर करते हैं। कुरआन के पुरातन महा विद्वान, 'सयूती' की मान्यता है कि मन-सूख आयत की संख्या—२१ है।

'फौजुल कबीर' के लेखक देहली के विद्वान शाहवली उल्लाह के मुताबिक 'सयूती' की बताई मनसूख आयत में से १९ आयत मन-सूख सिद्ध नहीं की जा सकती। कुछ मुसलमानों की राय यह हैं कि मनसूख आयत की संख्या ५०० तक है ॥मु० अली॥

चाहे जो भी हो यह, तो जाहिर है कि कुरआन की बहुत सी आयतें मनसूख हैं। लेकिन यह अल्लाह और उनकी सर्वज्ञता पर गहरा आक्षेप और दोष है, जिसे 'खबीर' (सर्वज्ञ) कहा गया है।

लेखक का अपना विचार है कि—सर्वज्ञ भगवान (अल्लाह) ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ही कानून को फिर बदल दे। ऐसा लगता है...यह मनसूख कही जाने वाली आयेतें किसी के द्वारा मिलावट की गई है। ऐसा नहीं मानने पर खुदा के सर्वज्ञता पर आक्षेप आता है।

बागे अदन—कुरआन यह खुलासा जाहिर करता है, और तमाम मुस्लिम जमात इस पर ईमान लाता है कि—आदम को खुदा ने अदन के बाग में रखा, और एक खास वृक्ष के फल खाने से मना किया। लेकिन शैतान (इवलिग) ने आदम और हव्वा को बहकाया...और आदम ने उस वृक्ष का फल खाया, तब उसने अपने को नंगा देखा, और परदा किया अंजीर के पत्ते से दोनों ने।

लेकिन मौ० मु० अली इस पर ईमान न लाकर लिखते हैं कि—यह संसारी बाग नहीं था। अलबत्ता यह नेकी और बदी से सम्बन्ध है। यह संतोष और शान्ति का वाचक है। मौ० अशरफ अली लिखते हैं कि वहिस्त में, हाजते अस्तंजा (पैखाना जाने के बाद पानी से शुद्धी की जरुरी) और हाजते शहवत (काम वासना की जरुरत) नहीं थी इस पर इस पर कपड़े थे उतारने नहीं थे, लेकिन आदम गुनाह किया उतारा और अपना अंग देखा। मौ० सनाउल्लाह लिखते हैं कि—अदन बाग में वह दरख्त नेकी और वदी का था, जिसके खाने से अल्लाह ने मना किया था कि—खाओगे तो नाफरमानी (आज्ञा भंग करने वाला) हो जाओगे। किन्तु शैतान ने बहकाया और उसने (आदम ने) फल खा लिया, अल्लाह ने उन्हें कहा तुम दोनों इस बाग से उतरे रहो। मौ० सनाउल्लाह ने यह भी लिखा है कि—

कुरआन में यह नहीं लिखा है कि, यह बाग कहाँ था, जन्नत में या
दुनिया में, मौ० सनाउल्लाह ने बाग को भौतिक (दुनियादारी) माना
है, (तौरेत के इतिहास से) मो० मु० अली ने बाग की दुनियादारी बाग
नहीं माना है। एक अलंकार माना है।

पाठक ! आपने देख लिया कि कुरआन की 'वागेअदन' की
खींचा-तानी और ख्याली पुलाव जो हकीकत से इतनी दूर है जितने
पाकिस्तान।

पुनर्जन्म—स्वामी दयानन्द महाराज एवं आर्य समाज
के पूर्व मुसलमानों ने सभी फिर्के के लोग इस वशूल को मानते थे कि
हम न पहले कभी पैदा हुए थे, और न फिर मरने के बाद पैदा होंगे
हम पहली वार दुनिया में आये हैं।

किन्तु अब इसमें बहुत परिवर्त्तन आने लगा है। दुनिया
हर समझदार और हर तबके के लोग इस वैज्ञानिक युग में अन्धकार
(जहालत) से प्रकाश की ओर आने और इस पर विचार करने ल
गये हैं कि हकीकत क्या है।

जब कि चार साल से लेकर सात साल तक के छोटे-छ
बच्चे और बच्चियों ने अपने पहले जन्म की कहानी को बताकर
को आश्चर्य में डाल दिया है, तथा दुनिया को मजबूर कर रहा है
पुनर्जन्म (दुबारा पैदाइसी) मानने को। यू० पी० के इकवाल नि
जो एक मदरसे में पढ़ाते थे, उनके पाँच साल का एक लड़का, जो
रोज अपने वालिद के साथ मदरसे गया और पास के एक घर
प्रवेश कर गया। घर में एक पान बनाती हुई हसीन युवती को,

कहकर अचम्भे में डाल दिया कि—फातमा ! एक खिल्ली पान मेरे लिए भी लगाना। इस घटना के दरम्यान उसने अपना नाम फारूख बतलाया। लड़के ने लोगों के पूछने पर मियाँ बीबी के कुछ अन्दरूनी बातें भी बतलायी जो हकीकत पाया गया। वह लड़का उसी पान बनाने वाली युवती फातमा का शौहर था जो मरहूम हो चुका था।

इकबाल मियां ने अखबार में साया कराते हुए लिखा था कि—हालांकि इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता, लेकिन यह मेरे अपने बेटे की हकीकत कहानी है, जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता।

लेखक की आँखों देखी ताजी घटना—प० चम्पारण जिला के लौरिया सुगर मील के एक श्री रामअयोध्या राय 'केमिस्ट-इन्जिनियर' की चार साल की पुत्री ता० ६–६–८० को एक वा एक चिल्ला उठी कि मेरी माँ मर गई मैं दानापुर अपने घर जाऊंगी। यह कहकर उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया।

११–६–८० को किये गये लेखक के प्रश्न और बच्ची के उत्तर—क्या नाम है—मुन्नी, बाप का नाम—कन्हैया बाबू—क्या करते हैं—ईंटा के ठीकेदार हैं—कहाँ घर है—दानापुर। कैसे जाना होगा—रेल से उतरकर बस से, किधर—दक्षिण—बस से कहाँ उतरना होगा ! गाछीतर पुल के पास—वहाँ से घर किधर है—दक्षिण, कैसा घर है—छतदार—तुम तुम पढ़ती थी—नहीं—क्यों—छोटो थी। वगैरह-वगैरह बातें बताई—दानापुर आदमी भेजने पर बातें सही पायी गई हैं—बच्ची डुब कर मरी है। मुस्लिम विद्वानों को पुनर्जन्म के विषय पर काफी विचार एवं चिंतन करनी चाहिए।

इस प्रकार की हजारों घटनायें दुनिया में घट चुकी हैं और आये दिन भी अखबारों में इस तरह के समाचार पाये जाते हैं। विदेशों में भी ऐसी अनेक घटनाओं को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। एक अंग्रेज ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं इसके पूर्व स्त्री के रूप में था। यह है पूर्व जन्म की हकीकत।

मैं इस मसले पर ज्यादा रोशनी नहीं डालकर अपनी पाठकों की निगाह खुद कुरआन की ही कुछ आयतों की ओर खींचना चाहता हूँ। जिसे हमने कुरआन का अध्ययन करते हुए पाया है। पाठक ! पक्षपात और जहालत से ऊपर उठ कर हकीकत की नजर से देखेंगे और अमल में लायेंगे।

१–तुम में से यदि किसी को ज्यादा दिया गया है (दौलत वगैरह) तो वह उसी स्त्री और इस पुरुष का अपना कमाया है। तुम उसकी कामना (चाह) मत करो ।।सू० अन-निसा० पा० ५-आ० २३।।

पाठक ! यहाँ साफ पूर्व जन्म के कमाई का जिक्र है

२–हम उसी तरह इनके दिल और निगाह को फेर देंगे। जैसे पहली बार इमान नहीं लाये थे ।।सू०,,-पा०७-आ०२९।।

यहाँ भी पिछले जन्म का गन्ध आ रही है।

३–२–जिस प्रकार हमने (अल्लाह) प्रथम सृष्टि की रचना की है, उसी प्रकार उसकी पुनरावृति (दुबारे) फिर करेंगे ।।सू० अली अम्बिया १७-१०४ ।। यहाँ दुबारे दुनिया बनाने का जिक्र है।

४–हमने तुम्हारे बीच करने की (रीति) रिवाज ठहराई और हमारे ब[illegible] से बाहर नहीं की हम तुम्हारा आकार (शक्ल) बदल दें और ऐ[illegible]

रूप में (शक्ल में) बदल दें जिसे तुम जानते नहीं।। सू०अलवाम्वीदा पा० २७–आ०६०–६१।।

पाठक ! यहाँ इस आयत में पुनर्जन्म और जाति (योनि) बदलना दोनों का जिक्र है। और कलामें खुदा है।

५–तुम अपनी पहली सृष्टि को तो जानही चुके हो ! फिर क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण करते (मानते) ।।सू० ,–,,–आ० ६२।।

यहाँ पर खुदा रूहों को पहली दुनिया की याद दिला रहा है।

६–उसने (इन्सान ने) समझ रखा है कि वह पलटाया नहीं जायेगा। ।।सू० अल-इन सफाक० पा० ३०–आ० १४।।

यहां पर अल्लाह याद दिलाता है कि मरने के बाद फिर पैदा किये जाओगे।।

७–निश्चय तुम्हें एक बाद एक चढ़ाई चढ़नी है ।।सू०,,पा० ,,आ०१९।।

इस आयत में भी जन्म मरण का संकेत है।

८–वही आरम्भ करता है, और वही दुहराता है ।सू०अलवुरूज०३०-१३।

यह स्पष्ट बतलाता है कि जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा।

९–भाषा और रूप रंग के भी कारण है अल्लाह की ओर से। सू०अर नम० पा० २१–आ०–२२ ।।

यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि इन्सान अपने नेकी बदी के कारण ही रूप, रंग और भाषा हासिल कर पाता है।

१०–कहो क्या मैं बताऊं कि अल्लाह के यहाँ बदतर (बुरा) बदला पाने वाले कौन हैं। वे जो जिस पर अल्लाह ने लानत की और जिसमें से उसने, बन्दर और सूअर बनाया है।सू.अल माइद-पा-६-आ..६०।।

पाठक वृन्द ! आप ध्यान से देखेंगे कि इन दसों आयतों में पुनर्जन्म (दुबारा जन्म) का किसी न किसी रूप में जिक्र आया हुआ है। दसवा आयत तो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि सबसे बुरा (वदी) कर्म करने वाले को अल्लाह तआला ने बन्दर और सूअर बना डाला है। ऐसे अनेक आयतें हैं जिसमें पुनर्जन्म का खुलासा जिक्र आया है। दसवें आयत से बढ़कर और क्या सावुत पेश किया जा सकता है, जो कलाम में खुदा है।

कुछ प्रसिद्ध (मशहूर) मुस्लिम विद्वानों ने भी इसे (पुनर्जन्म को) स्वीकार किया है। मुहम्मद ताहिर एक प्रसिद्ध इतिहास में ईशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—अल्लाह तआला ने इमान नहीं लानेवाले ५–७–सौ पुरुष को सुअर बना डाला ॥रोज तुल अस्फिया–१८९० ई० पृष्ट–१०४॥ मुहम्मद साहिब ने एक हदीस में, (जो तफसीरे अजीजी नामक कुरान की तरजुमा में आया है) कहा कि—तुम अनुमान किए गये हो सदैव रहने के लिए, और निश्चय तुम कूच करते हो एक दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर।

इमाम फखरुद्दीन कबीर नामक कुरान के व्याख्यान में अनेक कुरआन की टीकाओं और हदीसों का जिक्र करते हुए प्रकट किया है कि—मनुष्यों की भाँति पशु और पक्षियों में भी अल्लाह ने देवदूतों को उनके सुधारार्थ भेजा है।

अरबी भाषा की एक पुस्तक–'जब्दुतुल असरा' में असीरुद्दीन ने लिखा है कि मनुष्य की आत्मा निष्क्रिय नहीं रहता उसे शरीर की अपेक्षा रहती है। जिवात्मा अज्ञानी है। उसे ज्ञान की पूर्णता प्राप्त

होने तक मनुष्य योनि में बराबर आना जाना पड़ता है।

फरीदुद्दीन सत्तार लिखते हैं कि—मैं वनस्पति सदृश्य अनेक वार उत्पन्न हुआ और ७७० योनियों में रह चुका हूं।।मिफ्ताहुल तारीख अध्याय ११—पृष्ठ—१९८।।

शम्सुद्दीन तबरेजी ने अपनी पद्यमय पुस्तक 'दीवान शम्से तबरेज में और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी प्रसिद्ध मशनवी में जीवात्मा की नित्यता (अमरता) और पुनर्जन्म को अनेक स्थलों पर स्वीकार किया है। इसी प्रकार अबून सरकरावी और इमान ग़ोजाल ने भी पुष्टि की है। इत्यादि...

न जाने क्यों आलिमें कुरआन और इतिहास (तवारिख) के जानकार मुस्लिम वन्धु पुनर्जन्म के हकीकत (सच्चाई) को आम मुसलमानों पर जाहिर नहीं कर, परदा डाल रखा है। जो कला में खुदा और काबिले इत्मिनान के है। मुस्लिम वर्ग को इस पर समझ करनी चाहिए।

—लेखक

जिस तरह सूर्यास्त (गरवुश—शमस) के बाद हर इन्सान अपनी-अपनी रोशनी की जरुरतें—लालटेन, ढेबरी, दीपक, गैस, बील, मोमबत्ती आदि से अपनी हैसियत (क्षमता) के मुताबिक पुरा कर लेता है। उसी प्रकार महाभारत के वाद 'वेद' रूपी सूर्य के छिप जाने के कारण, हर मुल्क अपनी धार्मिक भावना को कायम रखने के लिए वेद की कतिपय (कुछ) बातों (जहां तक पहुंच पाया था) को लेकर अपनी-अपनी भाषा व्यवहार और देश काल के मुताबिक धार्मिक उसुल कायम किया जो बाद में नाना धर्म (मजहब) से नाम से मशहूर हो गया।

बहिस्त—इस्लामी सम्प्रदाय के हर फिर्के के लोग, कुरआन के आधार पर बड़े शौक और फक्र के साथ यह मानते हैं कि जो परहेजगार (संयमी) खुदा परस्त, नेक (भगवान के भक्त) आदमी हैं उन्हें बहिस्त (स्वर्ग) में रुजग्हूर (वेश्या, परी) बड़ी-बड़ी आँख वाली नई उठान लिए हुए, सुन्दरता में मानो—लाल मणि, और परमाल है, ऐसी औरतें और बहजर गिलमें (निमोछिये-लौण्डे) मौज के लिए दी जायेगी। मन पसन्द पशु और पक्षी के मांस तथा बहते हुए शराब की नहरें, छलकते हुए शराब के प्याले पेश किये जायेंगे। रहने के वास्ते सोने, चाँदी के मकान मखमली गद्दे और मेवे भी मिलेंगे। कयामत के रोज जन्नत में हजरते रसूल साहब खड़े रहेंगे।

'हाजी मियाँ जन्नत में ठाढ़े रसूल—सत्तर हूर बहत्तर गिलमें वहाँ पर मिलेंगे जरुर ।।एक कवि की युक्ति।।

पाठक ! यह है कुरआन, और इस्लाम के स्वर्ग (जन्नत) में खुदा परस्तों (भगवान के भक्तों) को अल्लाह के द्वारा बख्शी जाने वाली बेहतरीन नयामत। जिसके लिए नमाज, रोजा, जकात वगैरह किये जाते हैं।...पता नहीं दुनिया जो एक सराय है, इससे कौन नी बेहतरीन तोहफा है, इस बहिस्त में बख्शी जाने वाली ! ऐसा लगता है कि इस्लाम के तरक्की (वृद्धी) के लिए यह दिखलाया गया है, सब्ज बाग जन्नत की।

पाठक ! नेक और समझदार मुसमानों में इस बात पर गहरा मत भेद है। सुप्रसिद्ध विद्वान, सर सैयद अहमद खाँ इसके मुता लिक फर्माते हैं कि—यदि बहिस्त में सोने, चाँदी के ईंटों से बने

मकान, मखमली गद्दे, पशु पक्षी के गोश्त, सत्तर हूरें–तथा बहत्तर गिलमें तथा शराब के प्याले मिलेंगे तो मैं ऐसे बहिस्त को नहीं मानता, यह कुर-आन के खिलाफ हैं। मुस्लिम बन्धुओं को इस पर अमल करनी चाहिए। मुस्लिम कवि (गालिब) फर्माते हैं कि– 'जानता हूँ मैं जन्नत का हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का 'गालिब' यह ख्याल अच्छा है।'

कुर्बानी—इस मसले पर भी अलग विचार पाये जाते हैं लेकिन यह जाहिर है कि अल्लाह का हुक्म इसके खिलाफ है। कुर-आन फर्माता है कि 'नहीं पहुँचता गोश्त और खून अल्लाह तक, केवल तुम्हारा तकवा (संयम) पहुँचता है॥ सू० अलहज०–पा० १७–आ–२९॥ 'मैं नहीं चाहता कि वे मुझे खिलावें ॥सू० अजजरियात पा०२७-आ०५७॥

पाठक ! जब कि अल्लाह किसी से खाने को नहीं मांगता जो सारे दुनिया को खिलाता है, तथा गोश्त या खून भी अल्लाह तक नहीं पहुँचता, तो भी यह मानना कि गाय काटने (खुदा के नाम पर) का हुक्म है, कुर्बानी के नाम पर कुर-आन में कहाँ तक जायेज है। क्या यह जहालत नहीं है ? और नहीं है अल्लाह का ना फरमानी ? (आज्ञाभंग) अगर अल्लाह को गाय कटवाना, और हजरत मुहम्मद साहब को मुसलमानों को हुक्म देना मंजूर होता तो कुर-आन का शुरूआत गाय से नहीं होता। कुर-आन का शुरूआत होता सुर-ए-बकर से। पहला सुर–फातिहा कुर-आन की भूमिका (डिबाच) है।

बक़र का अर्थ होता है, 'गाय' इसी से शुरूआत हुआ है। मुसलमानों का एक पर्व (त्योहार) बकराईद कहलाता है, बक़र का माने हुआ गाय, और ईद का माने हुआ खुशी, इस प्रकार बक़र-गाय + ईद = खुशी = बकराईद = गाय की खुशी। इस प्रकार बकराईद का हकीकत माने हुआ गाय की खुशी न कि कुशी (काटना) चूँकि गाय राष्ट्र, समाज और प्रत्येक इन्सान के काम की चीज है, इसके लिए किसी खास दिन (बकराईद) की गाय का जुलूस निकाल कर खुशी मनाना ही बकराईद है। न कि उसके गले पर छुरी चलाकर धरती को खून से लाल करना। ईद के रोज गाय के दूध की जरूरी भी यही साबित करता है कि गाय की रक्षा करना।

धर्म वह है जिसे हर इन्सान पालन कर सके। सब के लिए सहूलियत हो। क्या सभी मुसलमान गाय काटने (कुर्बानी) में समर्थ हो सकते हैं? काटते हैं? क्या सभी मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं? जबाब होगा नहीं। बहुत से मुसलमान ऐसे भी पाये जाते हैं जो कोई गोश्त नहीं खाते। अगर 'कुर्बानी का माने गाय काटना होता और जरूरी समझा जाता तो, औरंगजेब से पहले मुसलिम बादशाहों ने गाय की हत्या पर रोक नहीं लगाते। क्या वे मुसलमान नहीं थे? 'मुहम्मद शाह तुगलक के जमाने में गो-हत्या मनुष्य-हत्या समझा जाता था। शाही भोजनालय में गो-मांस जाने पर रोक था, नहीं जाता था ॥श्री हंटर॥ बादशाह नसीरूद्दीन खुशरो, गयासुद्दीन तुगलक, फरहद उलमुल्क (गुजरात के सुबेदार) बाबर, हुमाँयू, अकबर, जहाँ-

गीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफर आदि मुस्लिम बादशाहों ने गो-हत्या पर पूरी पाबन्दी लगा दी थी, हुमाँयू ने गोश्त तक खाना बन्द कर दिया था। बहादुर शाह जफर की बेगम गो-दर्शन के बाद ही खाना खाती थी। अकबर ने फरमान जारी कर दिया था कि सभी पशु-पक्षी उसी परबरदिगार की औलाद हैं। सबसे एक-न-एक लाभ हैं, इसमें गाय की जाति चाहे नर हो या मादा दोनों समान हैं। इस प्रकार अपनी रियाया के नाम फरमान जारी कर उसने समस्त राष्ट्र में गो-हत्या कुर्बानी आदि पर रोक लगा दी थी।

पाठक ! यह है सच्चे वफादार खुदापरस्त मुसलमानों का गो-प्रेम। यदि वे गाय की कुर्बानी को अपना दीन (धर्म) मानते और यह मानते कि अल्लाह का हुक्म और रसूले खुदा की इजाजत है, जो करना लाजिम है तो कोई कारण (वजह) नहीं की वे लोग गाय की कुर्बानी नहीं करते, जब कि बादशाहे हिन्द थे, लेकिन उनलोगों ने इसे इस्लाम के नजदीकी दीन (धर्म) नहीं माना। सबसे पहले बादशाहों के इस नियम को औरंगजेब ने तोड़ डाला और गो-कशी जायज करार कर दिया। जाहिर है कि औरंगजेब के बाद ही हिन्दुस्तान से मुगलिया सल्तनत खत्म हो गया।

जाहिर है कि पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब ने भी कुर-आनपाक में गाय को पशुओं में आला माना है, और हुक्म फरमाया कि उसकी (गाय की) इज्जत की जाए। खुद हजरत साहब ने भी गाय की कुर्बानी नहीं की, और न मक्का में आज तक गाय की कुर्बानी की गयी।

मस्जिद के भीतर एक चींटी भी मारना गुनाह है। जो यह साबित करता है कि अल्लाह त आला, जो रहमाने रहीम है, हिंसा करना नहीं चाहता।

विश्व दार्शनिक (फिलासफर) आजाद सुभानी से जब गाय की कुर्बानी के निस्बत पूछा गया तो उन्होंने एक लफ्ज में जबाव दिया कि यह इस्लाम के नजदीकी नहीं है।

सीवान के एक मौ० जमालुद्दीन चतुर्वेदी (वर्त्तमान) अपनी तकरीर में यह फर्माते हुए बताये जाते हैं कि हजरत मुहम्मद साहब गोश्त नहीं खाते थे। वे सिर्फ तीन चीज खाते थे--मधु, फूल और दूध। वे गोश्त-खाने का खिलाफत करते हुए उसे कुर-आन के खिलाफ मानते हैं।

ता० २५-८-७९ ईद के अवसर पर गोरखपुर रेडियो स्टेशन से अपनी तकरीर करते हुए जनाब याहुद्दीन इलाही ने फरमाया कि 'इब्राहिम अपने दीन पर खरे उतरे और अल्लाह पर एकीन लाये और अपनी तमाम बुराइयों को कुर्बान कर दिया, काश कि हमारे मुसलमान अपनी तमाम खामियाँ (बुराईयों) को कुर्बानी कर (त्याग कर) अल्लाह पर सच्चा इमान लाते, बजाय धरती को खून से लाल करने का, यही हकीकत कुर्बानी है।'

पाठक! आपने देख लिया कुर्बानी की हकीकत, दीनदार और समझदार, नेक, खुदापरस्त मुसलमानों के अपने विचार। दर असल ये गाय की कुर्बानी कोई दीन (धर्म) नहीं, सिर्फ हिन्दुओं के दिल दुखाने और चिढ़ाने की एक जिद्द मात्र है कि हमारे कुर-आन पाक में लिखा है।

लेखक का अपना यकीन है कि, यदि (हिन्दु) भी इसी प्रकार जिद करे कि हमारे "वेद" में भी गो मारने वालों को शीशे की गोली (बन्दूक) से मारने का हुक्म है। तो, कभी का न यह कलंक (गो-हत्या) मिट गया होता, किन्तु हिन्दु ऐसा नहीं करना चाहता।

जिह्वा के गुलाम और अक्ल के खामी जिन्होंने दीन के राज (भेद) को नहीं जाना, एकदम जहालत में पड़े हुए हैं। हकीकत की जानकारी नहीं होने का कारण वे अल्लाह, उनके कलाम, और उनके रसूल को भी नहीं जान पाये।

आल्ली— कुर-आन शरीफ को कलामें पाक कहकर पुकारा जाता है। हर मुसलमान का यकीन है कि, यह कुर-आन अल्लाह-तआला का कलाम (वाणी) है। और हजरत मुहम्मद साहब पर नाजिर हुआ है (उतारा गया है।) लेकिन पाठक देखेंगे कि इस कलामे पाक (पवित्र किताब) के अन्दर अन्य मतावलम्बिओं (गैर-मुस्लिमों) के प्रति गालियों का खुलकर किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है।

हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए जाहिर करते हैं कि—यह इकरार करना पड़ेगा कि, सारा "कुर-आन शरीफ" गालियों से पूर है। बुद्धपस्तों (मूर्तिपूजने वाले) के बारे में सख्त अलफाज (कड़े शब्द) कुर-आन शरीफ में इस्तमाल किये गये हैं। यह हरगिज ऐसी नहीं है कि जिसके सुनने से मूर्तिपूजा करने वालों के दिल खुश हुये हैं।

अहमद साहब, आगे लिखते हैं कि, अल्लाह तआला कुर-आन शरीफ में, गैर-मुसलमानों को—दोजख का इंधन (लकड़ी) दुष्ट

नीच, घृणित, सूअर, कुत्ते, शैतान, दोजखी (नरकगामी) बदकार, जालिम, मक्कार, दुराचारी आदि नाना प्रकार के शब्दों से पुकारा है।

हलांकि जमानेहाल के नजदीक ऐसा ही जाहिर है कि किसी खास आदमी का नाम लेकर या इशारे के तौर पर उनको निशाना बनाकर गाली देना जमाने हाल की तहजीब (सभ्यता) के दरखिलाफ है। लेकिन खुदातआला कुर-आन में किसी को, कुत्ता, किसी को सूअर और मूर्खों का बाप ऐसा कहकर पुकारा है, ऐसा निहायत सख्त दर्जे का अलफाज वस्तुतः जाहिर गन्दी गालियां हैं। जितनी गालियाँ कुर-आन में दी गयी हैं, उतनी संसार के किसी भी किताब के अन्दर नहीं हैं ॥ह० मिर्जा गुलाम अहमद॥

आगे अहमद साहब फरमाते हैं—जहाँ कुर-आन के अन्दर अन्य धर्मों वालों को इस प्रकार लालत भरी गालियाँ दी गयी हैं—वहीं पर कुर-आन शरीफ में सरीह हुक्म नाज्दि है कि—मुखालिफीन के माबूदों (विरोधी के भगवान जिसे वे पूज्य मानते हैं।) को सब्बा ओ शतम (गाली-गलौज) से याद मत करो, तो वह भी बेसमझी और किने (इर्ष्या, नफरत) से खुदा के निस्बत गाली-गलौज के साथ जबान न खोलें।

अर्थात् कुर-आन शरीफ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं हैं, उनके भगवान को गाली-गलौज से मत पुकारो, नहीं तो वे लोग भी खुदा तआला को गाली देंगे।

कुर-आन में दूसरा जिक्र यह आया है कि—मक्के में पहले नमाज जोर-जोर से चिल्ला कर पढ़ा जाता था, लेकिन जब वहाँ के गैर मुसलमानों (मूर्ति पूजा करनेवाले लोग) ने इस पर एतराज किया तो अलाह त आला ने आयत उतारा कि— "पुकारो अपने रब को सुबह और शाम धीरे स्वर में"।

पाठकवृन्द ! जरा आप विचार करें कि—जब कुर-आन के अन्दर गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देने का अल्लाह द्वारा सख्त माना है—और एतराज करने पर धीरे-धीरे नवाज पढ़ने का हुक्म दिया। वही पाक परवरदीगार अपने हुक्म के खिलाफ उसी कुर-आन में गैर मुसलमानों के लिए गालियों का शुमार कैसे कर सकता है? ऐसा जाहिर होता है कि—हजरत मुहम्मद साहब के मरने के बाद द्वेष और घृणा की नजर से गुमराहियों द्वारा यह आयत मिलाया गया है। यह हकीकत आयत नहीं है।

हम पाठकों की जानकारी के लिए कुर-आन में इस्तेमाल की जानेवाली गालियों का एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं, कि किस प्रकार अन्य धर्मवालों को गालियाँ दी गयी हैं। (यह आंकड़ा हिमायल कुर-आन शरीफ से पेश किया जा रहा है।) हिमायल कुर-अवशरीफ के नौ सौ सफे (पृष्ठ) हैं। औसतन हर ढ़ाई-ढ़ाई सफों पर एक गाली दी गयी है। ग्यारह हजार पंक्तियाँ (सत्तर) हैं। हर सत्ताइस पंक्तियों में एक गाली दी है। कुर-आन शरीफ की सात मंजिल हैं। हर एक मंजिल में उनसठ बार एक ही गाली दी है। कुर-आन में तीस पारा हैं— औसतन (दरम्यान) उसके

हर पारा में चौदह–पन्द्रह एक ही गाली है। कुर-आन शरीफ की पाँच सौ पचास रूकू हैं। औसतन उसके हर रूकू में एक बार गाली दी गयी है। कुर-आन के तीन हजार दो सौ पचासी आयतें हैं, उसके हर पन्द्रह आयतों में एक बार गाली दी गयी है। सफा पाँच पर छे बार — भिन्न-भिन्न गालियाँ दी गयी हैं। एक पृष्ठ तीन तेरह पर एक ही प्रकार के पाँच गालियां दी गयी हैं। चौआलीस प्रकार की भिन्न–भिन्न गालियां चार सौ सत्तर बार आयी हैं। यह है कुर-आन शरीफ के अनुयायिओं के लिए खुला आइना। ॥ गुलाम अहमद ॥

नारी— वेद के अन्दर नारी जाति का दर्जा आला माना गया है और उसे पूज्य– आदर के योग्य पुरुष के बराबर अर्द्धांगनी माना गया है। जिसके अन्दर नाना प्रकार के ग्यारह विशेष गुण बताये गये हैं।

लेकिन कुर-आन शरीफ के अन्दर नारी को नीची निगाह से देखा गया है तथा भोग का सामान समझा गया है। यहां तक कि धरती से बहिस्त तक सिर्फ भोग की ही वस्तु मानी गयी है। अव्वल तो उसमें रूह (आत्मा) नहीं माना गया है। क्योंकि आदम और हव्वा के पैदाइशी में आदम के नाक में अल्लाह ने रूह डाला लेकिन हव्वा में रूह डालन का जिक्र न तो कुर-आन में है और न बायबिल में है। (इस विषय में लंदन में एक केश भी हुआ है।) कुर-आन में एक आयत है, जिसका अर्थ है कि 'औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ तुम्हारा जी चाहे जिधर से'।

इस आयत पर अपनी राय जाहिर करते हुए मौलाना शहजादा मिर्जा अहमद सुल्तान मुस्तफवी चिस्ती खावर ने अपनी पुस्तक "हफवा तुल मुसलमीन" में फरमाया है कि यह आयत हजूर ने "ह० मु० साहब ने" तब कहा जब ह० उमर एक रात अपनी सवारी (बीबी) को औंधा कर लिया था (गुदा मैथुन) और दरबारे हजूर में आकर जाहिर किया कि मैं रात लुट गया और अपनी बीबी को औंधा कर लिया। इस पर हजूर ने यह आयत पढ़ी--"औरतें तुम्हारी खेती हैं आओ तुम्हारा जी चाहे जिधर से।"

चिस्ती साहब ने फरमाया है कि यह आयत अश्लीलता पूर्ण है, जो कुर-आन के लिए कलंकित है, इसे निकाल देना चाहिए। याद रहे कि नबाब लोग जो तनखा रखते थे उसका मूल कारण यही आयत है।

लेखक का अपना विचार—पाठक बृन्द ! पुस्तक के बड़ा हो जाने के भय से अपनी लेखनी को विश्राम देने हेतु अब अपने विचार के माध्यम से उपसंहार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ।

"इस्लाम" यह एक अरबी शब्द है। जिसका अर्थ होता है—आज्ञा पालक "बात मानना" किसकी बात मानना इस शब्द से जाहिर नहीं होता, किन्तु एक मजहबी शब्द होने से मानना पड़ेगा कि अल्लाह की बात मानना।

तो जो भी ईश्वर के बात माननेवाला होगा वह इस्लामी है। इसलिए किसी खास वर्ग (जमात) को इस्लाम से जोड़ना या

 ऋषि पृ० मिलाकर ५८

सिंहासन पर बैठना और खुदा के साथ पैगम्बर साहब को भी शामिल करना यह कलामें पाक के खिलाफ है।

एक नियत समय (कयामत) के रोज हिसाब होने के बजाय प्रतिक्षण न्याय का होना, तथा कुर-आन के अनुसार कयामत और बहिस्त कहानी को अलंकारिक (इस्तेआरा) मानना आदि तमाम वस्तुओं में संशोधन करना यह साबित करना है कि कुर-आन अपनी असली सूरत में नहीं है।

और तो और कुर-आन की आयतों का मासूख (खत्म) होना, शिया मुसलमानों द्वारा, कुर-आन, तीस सिपारा के बजाय चालीस सिपारा में होना, इस प्रकार दस सिपारा का गायब होना एवं ह० मुहम्मद साहब को आखिरी पैगम्बर नहीं मानना (कादीयानी द्वारा) यह तर्क भी यही साबित करता है कि, कुर-आन अपनी सही (मूल) रूप में नहीं है।

जो अल्लाह नाहक झगड़ते, किसी के ईश्वर को गाली से याद करने, किसी को तकलीफ देने कि सख्त मनाही करता है। उसी अल्लाह द्वारा गैर मुसलमानों को गाली से याद करना—जो अल्लाह खुद ऐसा न करता है कि—मेरे पास लोहू और गोश्त नहीं पहुंचता और न मैं किसी से खाने को मांगता। उसी खुदा के नाम पर पशु-पक्षिओं का खून बहाना, क्या यह जाहिर नहीं करता कि—कुर-आन अपनी असली हालत में नहीं है।

जो अल्लाह संसार का परवरिश करने वाला और रोजी देने वाला पाक परवरदिगार है। क्या वह किसी से कर्ज का हाजतमन्द होगा ? जैसा कि कुर-आन में आया है कि "कौन

इस्लाम का धर्म बतलाना कहां तक दुरुस्त है। इसी प्रकार मुसलमान का अर्थ होता है ईमानदार, सच्चा, सभ्य, सदाचारी नेक नियत से चलनेवाला—तो जो भी इन्सान ईमानदार, सच्चा एवं सदाचारी होगा वह मुसलमान है, वह कोई वर्ग, जमात या मुल्क में रहनेवाला खास व्यक्ति नहीं।

यह दोनों शब्द इस्लाम और मुसलमान क्रमशः भक्त और आर्य शब्द का ही रूपान्तर है। मात्र भाषा का अन्तर है।

अस्तु न तो इस्लाम कोई धर्म है और न मुसलमान कोई जाति है। यह एक सभ्यता (तहजीब) है जिसे हजरत मुहमद साहब द्वारा चलाया गया है।

"धर्म" तो एक मात्र "वैदिक" धर्म है। जो "वेद" प्रतिपादित, विशुद्ध वैज्ञानिक और सनातन (कदीम) है। जिसका अर्थ है—वेद बराबर ज्ञान, ज्ञान बराबर ईश्वर, यानी ईश्वरीय ज्ञान आदेश, हुक्म या विधान (कानून) जिसका पालन करना आर्यत्व और इस्लामियत है।

पाठक बन्धु ! पूर्व आपको दिखलाया जा चुका है कि इस्लाम के ही नेक, दीनदार और समझदार मुसलमानों की ओर से कुर-आन के हकीकत का इजहार किया गया है। जिन्होंने कुर-आन के सभी पहलुओं पर खुले दिमाग से अपनी-अपनी राय जाहिर कर रखा है। इस प्रकार उन लोगों ने इस्लाम की उन पुराने खामियों को कि—कुर-आन पर शक करना कुफ्र है (जिस पर सिर्फ शक करने से काफिर कुफ्र होता है) कुर-आन पाक में

जो भी लिखा है उस पर इमान लाना मुसलमानों का धर्म है को गलत करार देकर इस वसुल को खत्म कर डाला। और की १८७५ से लेकर १९७५ तक कुर-आन के अनेकों तरजुमें (अर्थ) बदल चुके, और बदलते जा रहे हैं। उनलोगों के विचार।

मेरा यह यकीन है कि जब तक "कुर-आन अल्ला त आला के हकीकत कलाम" "वेद" तक नहीं पहुँच पाता तब तक कुर–आन के तरजुमें और विचारों का बदलना जारी रहेगा। क्योंकि— "सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसुलों से, खुशबु आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।" जरूरत है कुर-आन के हर पहलुओं पर जहालत से ऊपर उठकर निष्पक्ष और खुले दिमाग से विचार करने की।

आदम की कहानी का आदमी की कहानी में बदलना। आदम और हव्वा से दुनिया की पैदाईश और आदम का प्रथम आदमी नहीं मानकर उनके स्थान पर आदम से पूर्व लाखों आदम (आदमी) को कबूल करना। मिट्टी के जगह जीवन तत्व हव्वा के पसली की जगह उसी तत्व से (जिससे आदम पैदा हुआ) मानना, शैतान और फरिस्ते को एक अलंकार (इस्तेआरा) के रूप में स्वीकार करना तथा जिन्न को शिल्पी (राजगीर) आदि का रूप देना, कुर–आन में भारी परिवर्त्तन लाना है।

अल्लाह को निराकार मंजूर कर सातवें आसमान पर

है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा कि अल्लाह उसे कई गुणा करके लौटा देगा ॥ सू अलहदीश० पा० २७—० आ ११ ॥

वास्तव में हकीकत यह है कि, कुर—आन हजरत मुहम्मद साहब के बाद मरने के खलीफा (नेता) बनने की होड़ में एक ने दूसरे को दबाया और की उन्होंने कुर-आन के मूल (बुनियादी) स्वरुप को तहस-नहस (रद्दोबद) कर डाला है, जिसे शिया लोग भी मंजूर करते हैं।

हदीश के मोताबिक, ह० मु० साहब के पहले, एक लाख, चौबीस हजार पैगम्बर आने का जिक्र आया है। यह जिक्र भी साबित करता है कि पैगम्बरों ने अल्लाह के हकीकत कलाम (वाणी) को आम लोगों में सही रूप से नही रखा, जिजसे पैगम्बर पर पैगम्बर आते गये। खुद हजरत मु० साहब भी खुदा का हुक्म पहुँचाने में भूल की है। ऐसा हदीश मानता है।

अल्लाह का कलाम है कि मैंने हर मुल्क, हर जाति और हर भाषा में किताबें दी है। यह कलाम साबित करता है कि "वेद" भी अल्लाह के दिये गये किताब (ज्ञान) "कलाम" है और जो शुरू दुनिया में दिये गये हैं।

यह कि संसार की सभी भाषाऐं संस्कृत से ही निकली हुयी हैं, और संस्कृत कलामें पाक (वेद) से निकली है। लिहाजा "वेद" ही शुरू दुनिया का मूल ज्ञान—कलामें खुदा, कहलाने लायक है। संसार के समस्त विद्वान इस बात पर एक मत है कि, संसार के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक "वेद" है। इसके दो राय नहीं है।

इस्लाम इस बात को मानता है, औ फर्क करता है कि अल्लाह तआला ने सभी किताब मनसूख कर दी है, केवल चार किताबें रह गयी हैं। जो मौजूद हैं, और मानने लायक हैं वे किताबें हैं—कुर-आन इंजिल-जबूर और तौरेत। ये चार किताबें चार पैगम्बरों खुदा द्वारा उतारी गयी हैं।

सवाल यह है कि ये चारों किताबें खुदाई हैं, और चार पैगम्बरों के मार्फत अल्लाह ने दी है तो फिर इन चारों किताबों में आपस में फर्क (मतभेद) क्यों है? जबकि सभी गुजरनेवाले नबियों ने फरमाया है कि—मैं कोई नयी बात कहने नहीं आया हूं। मैं वही बात लाया हूं जो पहले नबियों ने लाया है।

बाजे मुसलमानों का यह कहना है कि जरूरत के मौताबिक बदल-बदल कर अल्लाह ने किताबें दी है। यह सरासर अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ है। क्योंकि—कुर-आन फरमाता है कि—अल्लाह के नियम में परिवर्त्तन (हेर-फेर) नहीं होता ॥ सू० अररूम—पा—२१—आ—३० ॥

हकीकत में यह चार किताब—कुर-आन इंजिल - जबूर, और तौरेत नहीं है— बल्कि ये चारों किताबें चारो वेद हैं—ऋग—यजु—साम और अथर्व जिसमें मतभेद (फर्क) नहीं है। और जो चार ऋषियों के द्वारा अल्लाह (भगवान) की ओर से प्रकाशित हुये हैं।

अल्लाह का बयां है कि शुरू दुनिया के सभी लोग एक-ही धर्म के माननेवाले थे। लेहाजा जब शुरू दुनिया का सबसे पुराना

धर्म ग्रन्थ "वेद" है तो मानना पड़ेगा कि शुरू दुनिया का धर्म भी "वैदिक" धर्म ही है, जो अकाट्य है।

अल्लाह का यह फरमाना कि मेरे नियम (वसुल) में हेर-फेर नहीं होता—इस वसूल पर खारा उतरनेवाला यदि है तो 'वेद' ही है। और कि जिसे विदेशी विद्वानों ने भी मंजूर किया है कि वेदों में कोई परिवर्त्तन लगभग तीस हजार बर्षों से नहीं पाया गया है।

वास्तव में "वेद" शुरू दुनिया से आज तक अपने मौलिक (मूल) रूप में ज्यों का त्यों मौजूद है। कुर-आन का यह फरमाना कि अल्लाह ने जो किताबें दी हैं उसकी मूल कौपी अल्लाह के पास है॥ सू० अर: अरद—पा०—१३—३९॥ जाहिर हैं कि वेद का अर्थ है ज्ञान,–ज्ञान इन्सान को शुरू दुनिया में मिलना लाजमी है और कि शुरू दुनिया में वेद देनेवाला परमात्मा (अल्लाह) ही है। इसलिए वह ज्ञान उसी अल्लाह का ठहरा और उसके मूल कौपी भी उसी के पास होना वाजिब है। जो "वेद" है।

कुर–आन की बहुत सी आयतें हजरत मुहम्मद साहब अपने घरेलु मामले और उनकी बीबियों के बारे में है जो यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि यह आयत खुदा की ओर से नहीं है। क्योंकि अल्लातआला को किसी के घरेलु मामले से क्या तालुक। और क्या तालुक अल्लाह को हजरत मुहम्मद साहब को यह फरमाना कि " मैंने तुम्हें विशेष छुट दी है—तेरे लिए हलाल है, तेरे मामा, तेरे चाचा, मौसी, फूफी की बेटियां और लौड़िया तथा

तुम्हारी बीबियाँ और वह औरतें जो तुम्हें चाहे।" इन सबों के साथ सहवास (संभोग) कर सकते हो क्या यही अल्लाह का काम है ? जो पाक और सबकी आबरू (इज्जत) रखनेवाला है।

यदि कोई हजरत मुहम्मद साहब के घर में जाता है और इधर-उधर झांकता है या कोई उनकी बीबियाँ से निकाह (विवाह) करना चाहता है, तो इससे अल्लाह को क्या तालुक ? जैसा कि कुर-आन में आया है कि—हे लोगों तुम्हारे लिए यह जायज नहीं है कि रसूल को तकलीफ दो और उनकी बीबियों से निकाह करो ॥सू० अहजाब—पा – २२ आ—५३ ॥

तथा हे लोगों नबी के घरों में न जाया करो और न इधर-उधर ताका करो।" हे मुहम्मद की बीबियों तुम में से जो कोई जाहिर अश्लील कर्म (व्यभिचार) करेगी उसे दोहरा दण्ड दिया जायेगा ॥ सू० अलइअजाब —पा – २२—आ—२८ से ३२ तक ॥

पाठक ! जरा गौर करके विचार करें इन सब मामलों से अल्लाह (भगवान) को क्या मतलब। क्या यह आयत हजरत मुहम्मद साहब और उनकी बीबियों तौहीन करने वाला नहीं है ? यह और ऐसे अनेको आयतें हैं, जिससे यह साबित होता है कि, कुर-आन अपने सही रुप में नहीं है। और की जिन मौलबियों ने कुर-आन पर अपनी-अपनी राय बतौर नुक्ताचीनी के जाहिर की है वह हकीकत है।

कुर-आन अल्लाह और उनके रसूल ह० मु० साहब को पाक-साफ बनाकर कुर-आन को 'वेद' के नजदीक लाना लाजमी है।

वास्तव में कुर-आन भी उपनिषद् , स्मृति, पुराण अ
बायबिल, हदीश आदि की भाँति ही इन्सान द्वारा लिखी अ
लिखाई गयी एक पुस्तक है, जिसका संकेत (जिक्र, इशारा) कु
आन में भी मौजूद है ।

अन्त में, उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, प
परवदीगार से प्रार्थना है कि ऐ मेरे मालिकरब, रहमाने रही
अल्लाह तआला रहमकर उन अपने बन्दों के ऊपर जिनकी आं
कानों पर परदा और दिल पर जहालत की मुहर पड़ी है। हट
परदा और तोड़ दे उस मुहर को दिखा दे सीधा मार्ग, और
दे मुँह अपनी ओर "वेद" की तरफ। हो जाय भला तेरे बन्दे
बस यही इसदोआ है कलम उठाने वाले "वेद पथिक" की जो स
इजहार किया है इस सादे कागज के पन्ने पर ।

ओ३म् शांतिः शांतिः शाँतिः ।

—:o:—

आर्य समाज के दस नियम

(१) सब सत्य विद्या और जो पदा
आदि मूल परमेश्वर हैं।

(२) ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप,
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्वि
श्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्या
और सृष्टिकर्त्ता है, उसी की

(३) वेद सब सत्य विद्याओं का पु
सुनना, सुनाना सब आर्यों का

(४) सत्य के ग्रहण करने और अस
चाहिए।

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके
करने चाहिये।

(६) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्
शारीरिक, 'आत्मिक' और समाजिक उन्नति करना।

(७) सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य वर्त्तना चाहिये।

(८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिये

(९) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये। किन्तु
सबकी उन्नति समझनी चाहिये।

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

प्रचारक— चम्पारण जिला आर्य सभा एवं मंत्री आर्य समाज
बगहा (प० चम्पारण)

प्रकाशक

ब्रह्मचारी सर्वेन्द्र कुमार आर्य
आर्य निवास, मु०-पो० बगहा (प० चम्पारण) बिहार

प्रथम वार– १००० सर्वाधिकार सुरक्षित

सं० २०३७-वि० ई० १९८० मूल्य– एक रुपया पचीस पैसे

मुद्रक– कल्याण प्रेस, ढाका (पूर्वी चम्पारण)